... पेश की गई
अप्रार्थी स. 3 की ओर से कोई उप.
नहीं अतः अप्रार्थी स. 3 के विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी
स. 5 की ओर से आदिनांक तक कोई उप. नहीं
अतः अप्रार्थी स. 5 के विरुद्ध एक पक्षीय
कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते
बहस हेतु दि. 03/04/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

03/04/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप.
वकील पक्षकार द्वारा प्रापत्र अन्तर्गत O9R13
सपठित धारा 151 C.P.C. पर बहस की गई। एवं अप्रार्थी स.
1व2 की ओर से लिखित बहस दी गई। अतः पत्रावली वास्ते आदेश
हेतु दि. 02/05/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

02/05/24 C.No.-- 270/2018

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप.
प्रार्थी का प्रापत्र अन्तर्गत O9R13 सपठित धारा
151 C.P.C. का अस्वीकार किया जाकर निर्णय
पृथक से पत्रावली में शा. मि. किया गया।
अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर
पत्रावली नम्बर रिकार्ड हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद संख्या 270/2018

1. श्योजी पुत्र श्री रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी (प्रतिवादी)

बनाम

1. नन्दा पुत्र श्री रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. श्रीमती नोसर पत्नि श्री नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण (वादीगण)

3. सुखा पुत्र श्री रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड अजमेर

परफॉर्मा पक्षकार/प्रतिवादी संख्या 3 से 5

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वास्ते एक पक्षीय पारित आदेश/निर्णय/डिक्री बउनवान नन्दा बनाम श्योजी वगै0 प्रकरण संख्या 219/2007 को निरस्त फरमाने बाबत्

दिनांकः 02/05/2024

उपस्थितः श्री परमानन्द शर्मा — प्रार्थी (प्रतिवादी) अभिभाषक

श्री रामदेव गुर्जर — अप्रार्थीगण (वादीगण) सं0 1 व 2 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2018 को प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा जरिये वकील श्री परमानन्द शर्मा के माध्यम से अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत् इस न्यायालय के राजस्व वाद पत्र सं0 219/2007 में पारित आदेश/निर्णय/डिक्री बउनवान नन्दा बनाम श्योजी वगै0 को निरस्त किये जाने बाबत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अप्रार्थी/वादी सं0 1 व 2 के द्वारा न्यायालय में प्रार्थी/प्रतिवादी व प्रफॉर्मा पक्षकार प्रतिवादी सं0 3 से 5 के विरूद्ध वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् बंटवारा व

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया गया था, जिसका उनवान नन्दा वगै0 बनाम श्योजी वगै0 है जिसके राजस्व वाद पत्र संख्या 219/2007 है जिसका एकपक्षीय आदेश/निर्णय/डिक्री दिनांक 30.11.2016 को पारित किया गया है। उक्त वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से वकील श्री रामलाल प्रजापत पैरवी कर रहे थे तथा उनके द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी को आश्वासन दिया गया था कि जब भी प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी की आवश्यकता होगी तो सूचना देकर बुला लिया जायेगा। दिनांक 10.08.2018 को हल्का पटवारी के द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी को बताया गया था कि हम भूमि का बंटवारा प्रस्ताव बनाने के लिये आयेंगे तुम मौके पर रहना इस पर प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा हल्का पटवारी को कहा गया कि हमारे बंटवारा का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, इस पर हल्का पटवारी के द्वारा कहा गया कि उक्त प्रकरण का निर्णय होने के बाद हमारे पास बंटवारा रिपोर्ट पेश करने बाबत् तहरीर न्यायालय के द्वारा जारी कर रखी है। हल्का पटवारी के द्वारा उक्त प्रकार से तथ्य बताने पर प्रार्थी/प्रतिवादी न्यायालय परिसर में आया तथा प्रकरण की जानकारी करवाने पर ज्ञात हुआ कि एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 30.11.2016 को एकपक्षीय निर्णय पारित कर अप्रार्थी/वादीगण का वाद डिक्री किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन करवाने से यह भी ज्ञात हुआ कि. प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से उनके वकील के द्वारा दिनांक 30.08.2012 को **No Instruction** करने पर दिनांक 21.10.2016 को प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रार्थी/प्रतिवादी के वकील श्री रामलाल प्रजापत द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी को किसी तरह की कोई सूचना दिये बगैर प्रार्थी/प्रतिवादी को प्रकरण की तारीख पेशी से अवगत करवाये बगैर प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से दिनांक 30.08.2012 को **No Instruction** किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी को प्रकरण के संबंध में अवगत नहीं करवाकर प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करवाकर एकपक्षीय निर्णय/डिक्री पारित करवाई गई है जो विधि सम्मत् नहीं है एवं निरस्तनीय है। विधिक प्रावधानों के तहत् प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता के द्वारा **No Instruction** करने पर माननीय न्यायालय को प्रार्थी/प्रतिवादी को नोटिस दिया जाना आवश्यक था। किन्तु न्यायालय द्वारा किसी तरह का कोई नोटिस नहीं देकर प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से दिनांक 30.08.2012 को **No Instruction** के आधार पर दिनांक 21.10.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 30.11.2016 को एकपक्षीय आदेश/डिक्री/निर्णय पारित की गई है, उक्त निर्णय/डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने के कारण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

उनवान नन्दा वगै0 बनाम श्योजी वगै0 हैं जिसके राजस्व वाद पत्र

निरस्तनीय है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न न्याय निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों को नोटिस दिये बगैर वकील पक्षकारों की ओर से No Instruction नहीं कर सकता है उक्त के बावजूद भी No Instruction किया जाता है तो ऐसे मामलों में न्यायालय के द्वारा पक्षकारों को उपस्थिति बाबत् नोटिस दिया जाना आवश्यक है, उक्त के बाद भी प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत है। प्रश्नगत प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित जाकर प्रश्नगत एक पक्षीय आदेश/निर्णय/डिक्री पारित की गई है। प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया जाना आवश्यक है एवं एकपक्षीय कार्यवाही के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित निर्णय/डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी को प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उनके विरूद्ध राजस्व वाद प्रकरण सं0 219/2007 बउनवान नन्दा वगै0 बनाम श्योजी वगै0 में दिनांक 21.10.2016 को अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध पारित एकपक्षीय निर्णय/डिक्री दिनांक 30.11.2016 को निरस्त करते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी को उक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी/वादी सं0 1 व 2 की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 3 व 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 27.03.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 4 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

3.1 अप्रार्थी (वादी) सं0 1 व 2 द्वारा जरिये अभिभाषक दिनांक 07.01.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को स्वयं अपने प्रकरण बाबत् जानकारी रखनी चाहिये थी। पटवारी हल्का द्वारा दी गई सूचना बाबत् अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है। तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा दिनांक 19.05.2017 को सूचना पत्र जारी किया गया था। प्रतिवादी के वकील ने दिनांक 30.08.2012 को नो इन्सट्रक्शन प्लीड किया था, शेष कथन के संबंध में लेख है कि वाद दिनांक 21.10.2016 को डिक्री किया गया इस अवधि में चार वर्ष तक अप्रार्थी ने अपने प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

बाबत् कोई जानकारी क्यो नहीं की, इस बाबत् कोई स्पष्टीकरण विलम्ब बाबत् नहीं दिया गया है। अप्रार्थी स्वयं की लापरवाही का दोष अधिवक्कता को देकर स्वयं की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। दिनांक 30.08.2012 से वाद दिनांक 30.10.2016 को डिक्री किया गया इस अवधि बाबत् विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया गया है। न्यायालय द्वारा वाद को नो इन्सट्रक्शन प्लीड करने से चार वर्ष पश्चात् डिक्री किया गया है। अतः प्रार्थी स्वयं की लापरवाही को दोष न तो न्यायालय को न ही अधिवक्ता को दे सकता है। डिक्री विधि सम्मत् रूप से पारित की गई है जिसे निरस्त करने की प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकार को स्वयं के प्रकरण बाबत् जानकारी स्वयं रखनी चाहिये तथा यह सिद्धान्त उन्ही पक्षकारों पर लागू होता है जो अपने प्रकरण की कार्यवाही बाबत् जागृत हो। अतः अप्रार्थी (वादी) जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र भारी व्यय सहित निरस्त करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी के वकील श्री रामलाल प्रजापत द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी को किसी तरह की कोई सूचना दिये बगैर प्रार्थी/प्रतिवादी को प्रकरण की तारीख पेशी से अवगत करवाये बगैर प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से दिनांक 30.08.2012 को **No Instruction** किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी को प्रकरण के संबंध में अवगत नहीं करवाकर प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करवाकर एकपक्षीय निर्णय/डिक्री पारित करवाई गई है जो विधि सम्मत् नहीं है एवं निरस्तनीय है। विधिक प्रावधानों के तहत् प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता के द्वारा **No Instruction** करने पर माननीय न्यायालय को प्रार्थी/प्रतिवादी को नोटिस दिया जाना आवश्यक था। किन्तु न्यायालय द्वारा किसी तरह का कोई नोटिस नहीं देकर प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से दिनांक 30.08.2012 को **No Instruction** के आधार पर दिनांक 21.10.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 30.11.2016 को एकपक्षीय आदेश/डिक्री/निर्णय पारित की गई है, उक्त निर्णय/डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा अपनी लिखित बहस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बउनवान मिलकियत सिंह व अन्य बनाम जोगेन्द्र सिंह व अन्य निर्णय दिनांक 02.12.1997 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 2008 (1) डी0एन0जे0 राजस्थान पेज नम्बर 344 एस0बी0 सिविल अपील नम्बर 3112 बउनवान

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

नारायण लाल बागड़ा व अन्य बनाम हनुमान शर्मा व अन्य निर्णय दिनांक 10.12.2007, 2022 (3) सी0जे0 (सिविल) (राज0) पेज नम्बर 1950 बउनवान प्रभाती लाल बनाम श्रीमती सुराजी व अन्य, 2014 (2) आर0आर0टी0 पेज नम्बर 881 बउनवान केसर देवी वगै0 बनाम श्रीमती वजीरा, डब्ल्यू0एल0सी0 राजस्थान 2011 (1) पेज नम्बर 686 बउनवान प्रेम सिंह बनाम रामाकिशन व 2014 (3) डी0एन0जे0 (राज0) पेज नम्बर 1136 बउनवान गोविन्द सिंह बनाम रामविलास व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों की ओर ध्यानाकर्षित कर प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4.2 वकील अप्रार्थी (वादी) सं0 1 व 2 द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीं0पी0सी0 का केवल मात्र एक प्रार्थना पत्र होता है जो वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने बाबत् प्रस्तुत किया जाता है जबकि प्रार्थी द्वारा उनवान बल कर अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका किसी भी प्रकार से कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा अवैधानिक कृत्य करते हुये माननीय न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से मूल विभाजन की पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया कि आदेश 7 नियम 13 सी0पी0सी0 को अलग–अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल पत्रावली के कार्यवाही को स्थगित करवाने बाबत् अनुतोष चाहा गया है, परन्तु एकपक्षीय कार्यवाही के लिये प्रार्थी को अलग से मूल पत्रावली में एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, परन्तु प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण को विलम्ब करने की मंशा से माननीय न्यायालय के समक्ष अवैधानिक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी श्योजी द्वारा दिनांक 18.05.2018 को कैम्प खातोली राजस्व लोक अदालत में स्वयं उपस्थित हुआ है जिसे पूर्ण जानकारी थी जो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं रहती है, परन्तु प्रकरण को विलम्ब करने की मंशा से अवैध कृत्य किया जा रहा है। एक अन्य प्रकरण वाद संख्या 304/2018 नन्दाराम व अन्य बनाम श्योजी वगै0 में विभाजन होकर प्राथमिक व अन्तिम डिक्री जारी होकर अधिकार अभिलेख में अमल हो चुका है। जिसमें प्रार्थी का अवैधानिक कृत्य साफ जाहीर होता है कि प्रार्थी केवल मात्र प्रकरण को विलम्ब करने की मंशा से प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया गया है। वकील अप्रार्थी (वादी) सं0 1 व 2 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विभिन्न न्यायिक नजीरे सी0जे0 (सिविल) 2023 (3) (एस0सी0) पेज नम्बर 560, सी0जे0 (सिविल) 2023 (3) (राज0) पेज नम्बर 1784, सी0सी0सी0 2022 (1) पेज नम्बर 263, सी0सी0सी0 2022 (3) पेज नम्बर 302,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

डी0एन0जे0 2016 (रेवेन्यू) पेज नम्बर 204, डी0एन0जे0 2013 (1) (राज0) पेज नम्बर 253, डी0एन0जे0 2022 (4) (राज0) पेज नम्बर 1582 एवं एस0ए0आर0 2019 पेज नम्बर 232 पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 को मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करते हुए मूल वाद में प्रस्तुत नक्शे कुरेजात के आधार पर अन्तिम डिक्री फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में मूल वाद सं0 219/2007 की आदेशिका का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से उनके वकील के द्वारा दिनांक 30.08.2012 को No Instruction करने पर दिनांक 21.10.2016 को प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, अर्थात No Instruction की दिनांक से एकपक्षीय कार्यवाही की दिनांक के मध्य लगभग 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हुई है, किन्तु उक्त अवधि के मध्य भी प्रार्थी/प्रतिवादी ना ही अपने अधिवक्ता से मिले एवं न ही न्यायालय में उपस्थित होकर कोई जानकारी प्राप्त की जो उनकी वाद के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री होकर बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी उक्त प्राथमिक डिक्री व विभाजन प्रस्ताव की अपीलीय न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02/05/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये प्रार्थना पत्र फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली में शामिल हो।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

...निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया था जिसका
उनवान नन्दा वगै0 बनाम श्योजी ...